[redacted]–334 / 2010

अनवान

[redacted] पुत्र भंवरलाल जाति गुर्जर उम्र 40 साल निवासी सलावटियां तहसील [redacted] जिला भीलवाडा ....वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार मार्फत जिलाधीश महोदयजी भीलवाडा तहसील कार्यालय भीलवाडा
2. ग्राम पंचायत सलावटिया मार्फत सरपंच ग्राम पंचायत सलावटिया पंचायत समिति माण्डलगढ तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा ....प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री गिरधारीलाल आचार्य अधिवक्ता वादी
पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार बिजौलियां

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांक :– 22.05.2018

निर्णय

वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक नियमित राजस्व वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी को मोजा सलावटिया तहसील बिजौलियां स्थित बिलानाम राजकीय भूमि आराजी खसरा नंबर 218 मीन रकबा 4 बीघा जरिये आंवटन के गैर खातेदारी अधिकारों से आवंटन समिति द्वारा आवंटित की गयी व नियमानुसार कब्जा वादी को दिया जाकर खसरा परिशोधन में वादी का नाम वादग्रस्त जायदाद पर बहेसियत गैर खातेदार के दर्ज किया गया।आराजी खसरा न0 218 मीन गत बन्दोबस्ती खसरा होकर वर्तमान में वादी के कब्जे में आवंटन के पश्चात् जो भूमि है उसका ख0न0 1283 / 516 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा है। जब वादी को भूमि का आवंटन किया गया तब आराजी खसरा नंबर 218 मीन बिलानाम काबिल काश्त भूमि थी किन्तु बंदोबस्त में उक्त भूमि की किश्म बदली जाकर किश्म भूमि चरागाह दर्ज कर दी गयी।प्रतिवादी नंबर 1 ने वादी के पक्ष में किये गये आंवटन आदेश की प्रविष्ठी से जो उसके द्वारा पोषित राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी उसकी अनदेखी की एवं भूमि का चरागाह दर्शाते हुये उसे प्रतिवादी न0 2 के खाते में वर्तमान में राजस्व अभिलेखों में दर्ज कर दिया।इस प्रकार की गयी अवैध एवं विधि विरूद्ध प्रविष्ठी का वादी के स्वामीत्व व कब्जे पर कोई विपरीत प्रभाव नही है। वादी आज भी उसके कब्जे वाली भूमिपर जो उसे आंवटीत हुयी है पर साधिकार काबिज चला आ रहा है। यह तथ्य प्रतिवादी न0 1 द्वारा पोषित राजस्व अभिलेखों से भी सिद्ध है। वादी की कब्जे एवं आंवटित भूमि जो प्रतिवादी न0 2 की खातेदारी भूमि में विधि विरूद्ध एवं नियम विरूद्ध तारीखों से दर्ज की गयी है। वह समाप्त की जाकर वादी को आराजी ख0न0 1283 / 516 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाना विधि एवं न्याय संगत है।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा

वादी अनुतोष चाहता है कि विवादित जायदाद स्थित मोजा सलावटिया आ0 ख0न0 1283 / 516 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा से प्रतिवादी न0 2 की खातेदारी समाप्त की जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाने की डिकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के सादिर फरमायी जावे।विवादित जायदाद स्थित मोजा सलावटिया में आराजी ख0न0 1283 / 516 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा में वादी को प्रतिवादीगण जबरन बेदखल नही करे। उनके कब्जे काश्त में बाधा नही पहुचाये एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियमों के तहत उसके विरूद्ध अनुचित कार्यवाही नही करे इस ... स्थायी निषेधाज्ञा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के विरूद्ध डिकी प्रदान की जावे।

कार्यवाही के आदेश पारीत किये गये। ... हो जवाब प्रस्तुत किया ...
... से नायब तहसीलदार बिजौलियां उपस्थित
... करवाया गया।

प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने वादपत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुये अंकित किया कि वादग्रस्त भूमि चरागाह है। वादी अतिक्रमी है। जिसको बेदखल किया जाना न्यायसंगत है। वादग्रस्त आ0न0 हाल 1283/516 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम सलावटिया चरागाह भूमि है। वादी अतिक्रमी है। अतिक्रमी को बेदखल करना व भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही न्याय संगत है। अतिक्रमी को किसी प्रकार के अनुतोष प्राप्त करने का हक नही है। अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वाद खारीज फरमावे।

वादी ने वादपत्र के साथ नकल जमाबंदी ग्राम सलावटिया संवत् 2063 से 66, खसरा गिरदावरी 2063 से 66, खसरा परिवर्तित निर्धारण संवत् 2066, नक्शा ट्रेस सलावटिया, प्रमाणित प्रतिलिपि डिमाण्ड कायम, खसरा परिशोधन, प्रमाणित प्रति ढाल बॉच 2028, प्रमाणित प्रति नक्शा फोटोप्रति सलावटिया मिलान खसरा संवत् 2028, प्रमाणित प्रतिया खसरा गिरदावरी संवत् 2030 से 2042, ग्राम पंचायत सलावटिया का पत्र 30.11.2011, ग्राम सभा बैठक का प्रस्ताव दिनांक 26.09.11 की फोटोप्रतियां प्रस्तुत की है।

प्रतिवादी की ओर से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही हुये।

वादपत्र एवं प्रतिवादपत्र के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गयी।

तनकी न0 1 :– आया वादी को गत बंदोबस्ती ख0न0 218 मीन रकबा 4 बीघा का आंवटन किया गया जिसके वर्तमान बंदोबस्ती ख0न0 1283/516 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा दर्ज हुआ जिसकी वादी खातेदारी पाने का अधिकारी है। ....जिम्मे वादी

तनकी न0 2 :– आया बंदोबस्त कार्यवाही द्वारा आ0न0 218 रकबा 4 बीघा जो बिलानाम सिवाचक आंवटन के समय थी उसको हाल बंदोबस्ती चरागाह ख0न0 1283/516 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा दर्ज किया जो त्रुटिपूर्ण होकर अधिकार से परे है। नियमों के विरूद्ध है। ....जिम्मे वादी

तनकी न0 3 :–आया आ0ख0न0 1283/516 किस्म भूमि चरागाह होने से उसकी वादी को खातेदारी नही दी जा सकती ....जिम्मे प्रतिवादी

मौखित साक्ष्य में वादी ने पीडब्लयू 1 विजयराम पिता भंवरलाल गुर्जर नि0 सलावटिया, पीडब्लयू 2 भंवरलाल पिता काना मीना नि0 सलावटिया, पीडब्लयू 3 मांगू घर पिता हिरा घर गुसाई नि0 सलावटिया को प्रस्तुत कर कथन लेख बद्ध करवाये गये।

पीडब्लयू 1 विजयराम पिता भंवरलाल गुर्जर नि0 सलावटिया ने अपने बयान में लिखवाया कि मुझे 4 बीघा 10 बिस्वा जमीन ग्राम सलावटिया में पुराने नाप की अलोट से जमीन मिली जिसका डिमाण्ड नोट मैने पेश किया। वर्तमान में मुझे आंवटित हुयी जमीन मैरे कब्जे में है। मैं निरन्तर खेती कर रहा हुँ। मैने पत्थरों की दिवार लगा रखी है। इस जमीन में मैने कुआ नही खोद रखा हैं लेकिन दूसरों के कुओ से पानी लाता हूँ। काश्त कर रहा हूँ। वर्तमान में यह जमीन चरागाह में दर्ज कर दी गयी जो गलत है। जमीन पुनः दर्ज कराना चाहता हूँ। मुझे बेदखल नही किया जावे। जिरह ... लिखवाया कि यह कहना गलत है कि वादग्रस्त भूमि पर मेरा कब्जा न हो यह मुझे प...

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

इनकी जमीन को जानता हूँ। जो पुरान नाप की 4/4.5 ...
... में है। चारो तरफ विजयराम ने पत्थरों की कोट कर रखी है। संवत् 2026 में
विजयराम को जमीन अलोट हुयी। तभी से इनका ही कब्जा देख रहा हुँ। कभी मौका
काश्त करते है। कभी पडत भी रहती है। एक साख काश्त होती है।जमीन के पडोस
उगानी तरफ सरकारी आम रास्ता खडीपुर जाने का, आतुनी तरफ छीतर मीना की
जमीन, धराउ मे भी सरकारी जमीन है। लंकाउ में मेरी जमीन है। विजयराम को अलोट
की भूमि के न0 याद नही है।

पीडब्लयू 3 मांगू घर पिता हिरा घर गुसाई नि0 सलावटिया ने अपने
बयान में लिखवाया कि मै विजयराम गुर्जर की जमीन को जानता हूँ। मेरे साथ ही चार
बीघा 10 बिस्वा जमीन अलोट हुयी थी। अलोट मेरे साथ ही हुयी। मै रास्ते से गुजरता
हूँ। इसलिए जानता हूँ। पत्थरों की कोट लगा रखी है। जमीन 40–42 सालों से वादी
विजयराम ही काश्त कर रहा है। जमीन पर विजयराम का ही कब्जा है। सरसडा की
फसल बो रखी है।

वादी ने इसके अतिरिक्त अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही करने से साक्ष्य वादी
बंद की गयी।

प्रतिवादी की मौखिक साक्ष्य में मोहनलाल पिता धीसालाल बुनकर डीडब्लयू 1
पटवारी सलावटिया को प्रस्तुत कर पटवारी ने बयान में लिखवाया कि सलावटिया
पटवारी का कार्य मै ही संपादित कर रहा हूँ। आज वास्ते बयान चालू रिकार्ड साथ
लेकर आया हूँ। वर्तमान में आ0न0 1283/516 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा चरागाह दर्ज
रिकार्ड है। इस विजयराम गुंर्जर का ही अतिक्रमण है। जिरह में लिखवाया कि गत
बंदोबस्ती आ0न0 218 में यदि विजयराम को 4 बीघा का आंवटन हुआ हो तो मेरे पास
रिकार्ड नही होने से नही बता सकता। मेरे द्वारा विजयराम को कब्जे के बारे में पूछा तो
भूमि आंवटन होना बताया।

डीडब्लयू 2 मदनलाल पिता कन्हैयालाल शर्मा आफिस कानूनगो बिजौलियां ने
अपने बयान में लिखवाया कि आज वास्ते बयान सलावटिया की जमाबंदी 2022 से 25
साथ लाया हूँ। खाता संख्या 1 पर ख0न0 218 रकबा 95 बीघा 3 बिस्वा बिलानाम
काबिल काश्त दर्ज रिकार्ड है। आंवटन का दाखिला अंकित नही है। इसके बाद की
जमाबंदी में चरागाह आ0न0 1283/516 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा चरागाह दर्ज रिकार्ड
हुयी। किन्तु उक्त ख0न0 218 काफी बडा रकबा जैसा कि उक्त जमाबंदी में 95 बीघा
3 बिस्वा अंकित है। इसके अलावा ख0न0 218 के नये नम्बर बने है। वो भी चरागाह
अंकित हुये है। इस बडे नम्बर में उक्त आंवटि कहा काबिज था। तथा कहा आंवटन
हुआ इसकी जानकारी वर्तमान नक्शे से पहले सेटलमेंट के तरमीम के नक्शे से हो
सकती है। पत्रावली में संलग्न नक्शे में आंवटित नम्बर को दिखाया जाना अस्पष्ट है।

उपरोक्त अनुवान के प्रकरण मे अधिवक्ता वादी की ओर से निम्नलिखित बहस
प्रस्तुत करी।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

वादी ने अपनी लिखित बहस में अंकित किया कि जिस गत गत बंदोबस्ती
आ0ख0न0 218 मीटर में से 4 बीघा भूमि का आंवटन वादी को किया गया उसके
वर्तमान बंदोबस्त में ख0न0 1283/516 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा से दर्ज अभिलेख किया
गया है। आवंटन के समय ख0न0 218 मीन बिलानाम सिवाचयक भूमि होकर काफी बडे
रकबे वाली भूमि थी। जिसमे कई व्यक्तियो का आवंटन हुआ था। जब न्यायालय ने
तहसील से रिकार्ड तलब करवाया जो इस पत्रावली के पछे लगा है शेष आवंटियो के

बन्दोबस्त विभाग ने अपने अधिकार ... से बना उसे चरागाह दर्ज ...
15 बिस्वा जो गत बन्दोबस्ती खसरा नं0 218 से बना उसे चरागाह दर्ज ... के आदेश के किया जबकि गया।बन्दोबस्त विभाग ने बिना किसी राजस्व अधिकारो के आदेश के किया जबकि बन्दोबस्त विभाग को भूमि की किस्म बदल कर बिना पूर्व के रिकाउ का अवलोकन कराये चारागाह में दर्ज कराने का अधिकार नही है राजस्व मण्डल के निर्णय जो बन्दोबस्त विभाग के अधिकारो के बाबत है पेश है। आर0बी0जे0 2013 पेज 83 व आर0बी0जे0 1998 पेज 274 है। इसलिये वादग्रस्त भूमि को चारागाह व्यवहारित की जाकर वादग्रस्त जायदाद को जो वादी को आवंटित हुयी भूमि है उसकी खातेदारी से वंचित नही किया जा सकता है। पंचायत जो चारागाह की केयर टेकर खातेदार है उसका दस्तावेज भी पेश किया है जिसने वादी का जरिये काश्त के कब्जा मानते हुये यह अनापति दी है कि खसरा सं0 1283/516 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा को वादी की खातेदरी में दर्ज किया जाता है तो पंचायत को कोई आपति नही है। किसी भी एक प्रकार की प्रकृति की भूमि के बारे मे जिस कीमिनेशन कर एक को खातेदारी देने व दुसरो को नही देनें का निर्णय नही लिया जा सकता है। जिसमे गत बन्दोबस्त खसरा नं0 218 के शेष आवंटियो का राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज कर दिया व वर्तमान में वे भूमि के खातेदार है। न्यायालय मे वादी ने आवंटन व अन्य रिकार्ड पेश किया है जिसमे वादी को भूमि का आवंटन होना दर्शाया हुआ है। साथ वादी के कब्जे की भी पुष्टी हुयी है। वादी ने रिकार्ड व साक्ष्य प्रस्तुत कर अपने अधिकार व कब्जे को साबित करवाया है अतः वादी का वाद डिक्री योग्य है।

वादी की लिखित बहस का अवलोकन किया। प्रतिवादी पेरोकार सरकार ने बताया कि वर्तमान में भूमि चारागाह है। पेरोकार ने बताया कि भूमि चारागाह है धारा 16 के तहत वर्जित भूमियो की श्रेणीयो मे आती है। वादी का वादपत्र खारिज कराना फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया उभयपक्षो की बहस पर मनन किया।

वादी ग्राम सलावटिया के खसरा नं0 1283/516 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा की खातेदारी चाहता है।वर्तमान में उक्त भूमि चारागाह है। चारागाह भूमि के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट पिटीशन सं0 1554/2004 में पारित आदेश दिनांक 08.08.2017 के बिन्दू सं0 6 मे यह व्यवस्था दी गई है:-"It is Reiterated That Unauthorised Occupation Of Pasture Land then be Removed From With and No a UnauthorisedOccupation Over ThePasture Land Shall be Permitted To be Regularized"प्रकरण में वादी चारागाह भूमि की खातेदारी चाहता है। सुप्रिम कोर्ट के आदेश, उच्च न्यायालय के आदेश व धारा 16 के तहत चारागाह प्रतिबंधित होने के कारण वादपत्र मेरिट पर खारिज योग्य है।

अतः वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 88-188 रा0टि0एक्ट0 खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 22.05.2018 को मुकाम सलावटिया परलिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

राजस्व लोक अदालत अभियान
उपखण्ड बिजौलियाँ

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां
(केम्प सलावटिया)